Received through mail, Date:- 22/02/16

पत्रांक–एम–4–20 / 2013.....वि०(2) दिनांक.....

बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

विषयः– **बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–198 में प्रावधानित नियम के संबंध में।**

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–198 के अनुसार डी०सी० विपत्र कोषागार के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। महालेखाकार, बिहार द्वारा सूचित किया गया है कि विगत छः माह में डी०सी० विपत्र सामंजन में कमी आयी है जिसके कारण लंबित ए०सी० विपत्रों की राशि में वृद्धि हो रही है। कोषागारों के माध्यम से प्राप्त डी०सी० विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र में किसी त्रृटि के स्थिति में कोषागार / डीडीओ को वापस करने में कठिनाई हो रही है। विभिन्न विभागों से भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कोषागारों में उनके विभागों से संबंधित डी०सी० / यू०सी० विपत्र कई दिनों तक पड़े रहते है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा भी उनके सामंजन / आपति से संबंधित कोई सूचना नहीं दी जाती है। कोषागारों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि उनके द्वारा प्रेषित डी०सी० / यू०सी० विपत्रों को प्राप्त करने में महालेखाकार कार्यालय में समस्या होती है।

उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण सामंजन में विलंब होता है तथा विपत्रों के खोने एवं नष्ट होने की संभावना भी बनी रहती है। वित्त विभागीय संकल्प सं० 4332, दिनांक 02.04.2013 के आलोक में दिनांक 31.12.2012 तक निकासी किये गये ए०सी० / सहायक अनुदान विपत्रों के सामंजन हेतु डी०सी० / यू०सी० विपत्र वित्त विभाग के अधीन कार्यरत डी०सी० / यू०सी० विपत्र संग्रहण केन्द्र, परिवहन निगम, सुल्तान पैलेस में प्राप्त किया जा रहा है। 31.12.2012 के बाद भी ए०सी० / सहायक अनुदान विपत्रों पर निकासी की गयी राशि का सामंजन लंबित है। इसलिए संग्रहण केन्द्र अभी आगे भी कार्यरत रहने वाला है। संग्रहण केन्द्र पर वित्त विभाग के तरफ से डी०सी० / यू०सी० विपत्रों की जाँच करने, प्राप्त करने तथा महालेखाकार कार्यालय में समर्पित करने, सामंजन / आपति वाले विपत्रों की सूचना विभाग / डीडीओ को हस्तगत कराने हेतु सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इससे लंबित विपत्रों का सामंजन तीव्र गति से होता है। इस स्थिति में 31.12.2012 तक एवं इसके बाद के डी०सी० / यू०सी० विपत्रों को प्राप्त करने हेतु दो व्यवस्था रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। डी०सी० / यू०सी० विपत्रों की सामंजन हेतु आहूत समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव द्वारा भी निदेश दिया गया कि सभी अवधि के डी०सी० / यू०सी० विपत्र सुल्तान पैलेस स्थित संग्रहण केन्द्र पर ही प्राप्त किया जाय। अतः डी०सी० / यू०सी० विपत्रों को प्राप्त करने एवं सामंजन के लिए निम्नांकित व्यवस्था की जाती है:–

H.nandan Letter1/92

1335
22.2.16

1. दिनांक 31.12.2012 के बाद निकासी किये गये ए0सी0 विपत्र/सहायक अनुदान विपत्र के विरूद्ध डी0सी0/यू0सी0 विपत्र कोषागारों में प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

2. वर्ष 2002–03 से लंबित सभी डी0सी0/यू0सी0 विपत्र बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, सुल्तान पैलेस, पटना स्थित डी0सी0/यू0सी0 विपत्र संग्रहण केन्द्र पर ही प्राप्त किये जायेंगे।

3. विपत्रों को समयक जाँचोपरांत संग्रहण केन्द्र पर प्राप्त किया जायेगा एवं महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। विपत्रों के सामंजन/आपति से संबंधित सूचना संग्रहण केन्द्र पर उपलब्ध होगा।

4. सामंजित विपत्रों से संबंधित एक प्रमाण–पत्र महालेखाकार द्वारा निर्गत किया जायेगा जिसके आधार पर कोषागार पदाधिकारी सी0 टी0 एम0 आई0 एस0 से लंबित ए0सी0/सहायक अनुदान विपत्रों को हटायेंगे।

ह0/–
(रवि मित्तल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 1293-वि0 / दिनांक 18/2/16 /

प्रतिलिपि–सभी विभागीय प्राधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rmittal
(रवि मित्तल)
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज0/वि0-02/2010

ज्ञापांक– 129 /पटना, दिनांक– 24/02/16

प्रतिलिपि–सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार/ निदेशक, वाल्मी, पटना, निदेशक, क्रय एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, FMISC, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Kumar 24/02/16
(राकेश कुमार)
उप सचिव।

H.nandan Letter1/93

H.nandan Letter1/93